पावर ब्रिड कोपॉरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Power Grid Corporation of India Limited



स्चना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक स्चना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007



Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/E/20/00309

दिनांक: 1st September, 2020

Shri Guru Prasad Singh, Flat No. 101, View Apartments, Near Radhanagar, Dayalbagh,

Agra, Pin: 282005, Uttar Pradesh

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया.

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 22 August, 2020 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-। मे संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.एन.डे.भौमिक,

कार्यपालक निदेशक (तकनीकी विकास) एवं अपील प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा। ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in फोन नंबर: 0124-2571790.2863616

धन्यवाद.

अवदीप,

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub.: Reply to RTI Query by Shri Guru Prasad Singh, Agra, Uttar Pradesh.

Query:

SI. No. 1. Whether, one has to pay full bond amount while undergoing on job training and want to switch to a different Central Government organization like Indian Railways (e.g. RRB JE exam was conducted before joining PGCIL and result was declared after joining) with higher basic pay. A Notification of Department of Public Enterprises has already been issued vide order no DPE O.M. No.15(2)/2003-DPE(GM)/GL-57 dated 29th July 2004.

SI. No. 2. Also kindly tell me the process if bond amount is not to be paid if any.

Reply:

SI. No. 1. Bond amount is payable if an employee leaves POWERGRID during the bond period.

SI. No. 2. Reply to SI. No. 1 may be referred.

----X----

RE my